

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
(लेखा एवं वित्त विभाग)

क्रमांक: लेखा एवं वित्त-प्रथम/2021/1268

दिनांक : 30/03/2021

परिपत्र

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(1) वित्त-1(1) आय.व्यय/2020 दिनांक 3/9/2020 के अनुसरण में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक लेखा एवं वित्त-प्रथम/2020/744 द्वारा विश्वविद्यालय कार्मिकों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान की नई स्वीकृतियां जारी करने पर रोक लगाई गई थी। उक्त रोक को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 1(9) वित्त/नियम/2015 दिनांक 19/3/2021 के अनुसरण में तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।

51-


वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार

क्रमांक: लेखा एवं वित्त-प्रथम/2021/1269/1290

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/वाणिज्य/विधि महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक केन्द्रीय पुस्तकालय/गाँधी अध्ययन/शारीरिक शिक्षा अध्ययन/दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. मुख्य आवासाधिकारी, विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित छात्रावास।
6. समस्त छात्रावास अधिकारी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय छात्रावास।
7. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, निजी सचिव/सचिव, कुलपति/कुलसचिव/ परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।



उप-कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)